In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. \$19 / 2012/ 03(120)/ XXVII(8)/ 07 dated 39May, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8
No. 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07
Dehradum :: Dated: : 3 0 May, 2012

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

Amendment

In schedule-III, after the existing entry at serial no. 11, the following entry shall be added; namely-

	CONTRACTOR STREET, SAIL	And the second s	ALIEN AND SERVICE SERV	PORTURA ACADEMIC ACADEMICA ACADEMIC
	4 196	* T Y C	N. A. man Y	70/
- 8	12.	Non Levy Sugar	M or I	2%
	de sous a	TAOLI TO A A DINGSON	111 01 1	

(Radha Raturi)

Secretary.

\$

उत्तराखण्ड शासन वित अनुमाग-8 OFF /2012/03(120)/XXVII(8)/07 देहरादूनः विनांकः 30 मई, 2012

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में भेना करना समीचान अत्। १५०, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), संपठित उत्तर प्रवेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-111 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-111 के क्रमांक 11 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी: अर्थात:-

12. नॉन लेवी चीनी आ० या नि० 2 प्रतिशत सचिव।

सं0 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07 तद्दिनांक। प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेलु प्रेषित:-

1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, वेहरावून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

र निवेशक, पुवण एंव जेरबन सामग्री उत्तराखण्ड, रुज्जारी जिला श्रिप्तार वर्ग आंगसूवना का हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते ן ער מונד מורדות ביורלות מו מוניים דול מולות ממו ממו ווויים

3-भाषा अनुमाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आजा से. a Eluit (प्रदीप सिंह रावत) उपसचिव।